मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग

क्रमांक/बी–14–3–92–14–2 भोपाल दिनांक जून 2000

आदेश क्रमांक–1/बीज व्यवसाय

प्रति,

1. कलेक्टर
   .... (समस्त)
   मध्यप्रदेश

2. 2. आंचलिक प्रबंधक,कृषि जलवायु क्षेत्र
   .... (समस्त)
   (समस्त)
   मध्यप्रदेश ।

3. 3. अनुविभागीय कृषि अधिकारी,
   .... (समस्त)
   मध्यप्रदेश ।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत
   ....(समस्त)
   मध्यप्रदेश ।

5. उप संचालक, कृषि
   ....
   मध्यप्रदेश ।

6. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,
   विकास खण्ड
   ....(समस्त)
   मध्यप्रदेश ।

विषयः– **बीजों की गुणवत्ता बनाये रखने बावत् मार्गदर्शी निर्देश ।**

1 1 प्रस्तावना

1.1 1.1 राज्य में फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने में कृषि आदानों का विशेष महत्व है । बीजों की गुणवत्ता का फसल उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है । राज्य में बीजों की खपत में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । कृषि उत्पादन में बीज अतिविशिष्ट आदान है । प्रदेश के किसानों को उनके द्वारा बीज के रूप में चुकायी गई कीमत का लाभ उत्पादन के रूप में प्राप्त हो सके, इसके लिए बीज की गुणवत्ता कायम रखना महत्वपूर्ण है ।

1.2 बीज अधिनियम 1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 में विहित प्रावधानानुसार बीज व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विभिन्न स्तरों पर निर्धारित दायित्वों का सही ढंग से सक्षम क्रियान्वयन के लिये यह निर्देश जारी किये जा रहे है ।

2 2 वैधानिक स्थिति

भारत सरकार, ने बीज के सुदृढ़ व्यवसाय (उत्पादक/विक्रेता)तथा उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये बीज अधिनियम 1966 बीज नियम 1968 एवं बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 जारी किया है, जिसकी विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत बीज

की गुणवत्ता एवं व्यापार नियंत्रित है । इसके तहत बीजों के विक्रय निर्यात आयात और भंडारण आदेश के अधीन बीजों को दी गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तो के अधीन एवं उसके अनुसार गुणवत्ता एवं व्यापार नियंत्रित होता है ।

3 3 बीज परिभाषा :–

बीज अधिनियम 1966 की धारा 2 (11) के तहत बीज निम्नानुसार श्रेणियों में वर्गीकृत है, जों बोने या रोपण के लिये उपयोग में लाया जाता है ।

(1) खाद्यानों जिनमें खाद्य तेलों के बीज सम्मिलित है , तथा फलों एवं सब्जियों के बीज ।
(2) कपास बीज ।
(3) पशुओं के चारे के बीज ।
(4) जूट बीज ।

एवं

उपरोक्त में खाद्यान फसलों के अतिरिक्त पश चारे की पौध , कन्द, बल्ब , राइजोम, जड़ें, कटिंग , सभी तरह के ग्राफट तथा अन्य वानस्पतिक रूप से तैयार पौध सामग्री सम्मिलित होगी ।

4 4 वर्तमान स्थिति

4.1 विगत तीन वर्षो के बीज के नमूनों के परीक्षण के आधार पर संकलित जानकारी अनुसार औसतन 3000 नमूनों का प्रतिवर्ष प्राधिकृत बीज निरीक्षकों ने परीक्षण कराया, इनमें से औसतन 275 नमूने तक अमानक पाये गये । अतः बीज व्यापार की गुणवत्ता पर निरंतर निगरानी बनाये रखना और अमानक पाये गये नमूनों के संबंध में बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

4.2 4.2 बीज का संसाधन भण्डारण विलंब से होने के कारण निरीक्षक द्वारा नमूने लेने में विलंब होता है । कही–कहीं नमूने लेने के उपरांत भी समय सीमा में परीक्षण हेतु या तो भेजे ही नहीं हाते या परीक्षण परिणाम विलंब से प्राप्त होने के कारण बीज लॉट की आंशिक अथवा सम्पूर्ण मात्रा का विक्रय हो चुका होता है । अतः नमूना लेने के तुरन्त बाद जॉच के लिये बीज परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजा जाना आवश्यक है एवं प्रयोगशाला परिणाम भी संबंधित को समय सीमा में भेजने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

5 5 व्यापार पंजीयन

5.1 बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम–3 के अन्तर्गत बीज व्यवसायी (निजी विक्रेता एवं संस्थायें) जो बीज का व्यापार कर रहा है, द्वारा इस हेतु लायसेंस लेना आवश्यक है । प्रत्येक बीज व्यवसायी को लायसेंस अवधि समाप्ति के पूर्व उसका नवीनीकरण कराना होता है । इस हेतु बीज व्यवसायी को निर्धारित प्रपत्र में अनुज्ञापन अधिकारी (उप संचालक, कृषि) को आवेदन पत्र देना चाहिये । इसके साथ गोदाम का नक्शा, निर्धारित फीस , बीजल प्राप्ति के स्त्रोत का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।

6. अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन तथा उसकी विधिमान्यता अवधि

6.1 6.1 ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो बीज के विक्रय, निर्यात या आयात के लिये कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त करना चाहता है, बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम – 4 के अन्तर्गत रूपये 50.00 की अनुज्ञप्ति फीस सहित दो प्रतियों में एक आवेदन प्रारूप 'क' में अनुज्ञप्ति हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

6.2 6.2 इस आदेश के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति जब तक कि वह पहले ही निलंबित या रद्द नहीं की जाती है उसके जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्ष के लिए वैध रहेगी ।

7 7 अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

7.1 बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम – 7 के अन्तर्गत

1– ऐसा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक जो अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण कराना चाहता है, अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व, रूपये 20.00 की नवीनीकरण फीस सहित दो प्रतियों में नवीनीकरण के लिये एक आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रारूप ''ग'' में करेगा । ऐसी फीस सहित ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण करेगा ।

2– यदि अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है अपितु वह अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से एक मास के अंदर किया जाता है तो अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की फीस के अतिरिक्त रूपये 25.00 अतिरिक्त फीस के संदाय पर किया जा सकेगा ।

8– अनुज्ञप्ति का संशोधन

8.1 8.1 बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम–17 के अंतर्गत, अनुज्ञापन प्राधिकारी, बीज व्यवसायी से रू. 10.00 की फीस सहित लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर ऐसे व्यवसायी की अनुज्ञप्ति का संशोधन कर सकेगा ।

9– अनुज्ञापन अधिकारी की नियुक्ति

9.1 9.1 राज्य शासन द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी की नियुक्ति बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम–11 के अंतर्गत की जाती है । म. प्र.शासन कृषि विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी 14–3–92–चौदह–2 दिनांक 15–3–2000 के द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी की नियुक्ति व उनके अधिकारिता का क्षेत्र संसूचित है । (परिशिष्ट–4)

10– अनुज्ञप्ति का दिया जाना

10.1 बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम–5 के अंतर्गत
अनुज्ञापन प्राधिकारी, ऐसी जांच जो वह ठीक समझे करने के पश्चात, किसी व्यक्ति को जो खण्ड–4 के अधीन उसके लिये आवेदन करता है, प्रारूप ''ख'' में अनुज्ञप्ति दे सकेगा ।

11– अनुज्ञप्ति हेतु अपात्र व्यवसायी

11.1 11.1 जिसकी इस आदेश के अधीन दी गई पहली अनुज्ञप्ति निलंबित है, ऐसी निलंबित अवधि के दौरान,

11.2 11.2 जिसकी इस आदेश के अधीन दी गई पहली अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया गया है, ऐसी निलंबन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक,

11.3 11.3 जिसकी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अधीन या उसके अधीन, जारी किये गये किसी आदेश के अधीन दोष सिद्ध किया गया है, आवेदन की तारीख से पहले पिछले तीन वर्ष के दौरान यदि उक्त अधिनियम के तहत दोष सिद्ध किया गया हो ।

12– अनुज्ञप्ति दिये जाने से इंकार किया जाना

12.1 12.1 जब अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति देने से इंकार कर देता है जिसने खण्ड–4 के अधीन उसके लिऐ आवेदन किया है तो वह ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा ।

13– अनुज्ञप्ति का निलम्बन या रद्‌द किया जाना

13.1 13.1 यह कि अनुज्ञप्ति किसी तात्विक विशिष्ट के बारे में गलत तथ्यों पर अभिप्राप्त की गई हो या,

13.2 13.2 यह कि इस अध्याय के किसी उपबंध या किसी अनुज्ञप्ति की शर्त का उल्लंघन किया गया है ।

14— व्यवसायी द्वारा स्टाक और मूल्य सूची का प्रदर्शन किया जाना

बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम—8 के अंतर्गत, प्रत्येक व्यवसायी कारोबार के अपने स्थान पर —

14.1 14.1 अपने द्वारा धारित विभिन्न बीजों के दैनिक आधार पर प्रारंभिक अंतिम स्टाक को प्रदर्शित करेगा ।
14.2 14.2 विभिन्न बीजों के मूल्यों या दरों को उपदर्शित करने वाली सूची प्रदर्शित करेगा ।
14.3 14.3 अनुज्ञप्ति पत्र का प्रदर्शन करना ।
14.4 14.4 भण्डारण क्षमता ।

15— व्यवहारियों द्वारा क्रेता को ज्ञापन का दिया जाना

प्रत्येक व्यवसायी बीज क्रेता को नकदी या प्रत्यय ज्ञापन देगा ।

16— बीज वितरित करने की शक्ति

बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम—10 के अंतर्गत जहॉ लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाता हो वहां नियंत्रक लिखित आदेश द्वारा किसी उत्पादक या व्यवसायी को ऐसी रीति में जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, किसी बीज का विक्रय या वितरण करने का निर्देश दे सकेगा ।

17— अपील

बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के नियम—16 के अंतर्गत, ऐसा कोई व्यक्ति जो—

17.1 17.1 बीजों के विक्रय, निर्यात या आयात की अनुज्ञप्ति देने, संशोधन करने, नवीनीकरण करने या इंकार करने वाले,
17.2 17.2 किसी अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द करने वाले आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के अंदर अपील प्राधिकारी को जो राज्य सरकार इस निमित्त हेतु निर्दिष्ट कर, अपील कर सकेगा और ऐसे प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, परन्तु अपील के लिये आवेदन कर साथ पचास रूपये की अपील फीस संलग्न होगी ।

18— बीज निरीक्षक की नियुक्ति

18.1 18.1 राज्य शासन बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा–12 के अंतर्गत, आवश्यकतानुसार बीज निरीक्षकों नियुक्ति एवं उनके क्षेत्र निर्धारित करती है, इस आधार पर म.प्र. शासन कृषि विभाग की अधिसूचना क्र. बी–14–3–92–चौदह–2 दिनांक 15–3–2000 के द्वारा बीज नियम 1968 की धारा 22 के अंतर्गत निर्धारित योग्यता (कृषि स्नातक, एक वर्ष का बीज उत्पादन, विकास अथवा बीज विश्लेषण का अनुभव) रखने वाले अधिकारियों की प्राधिकृत निरीक्षकों के रूप की गई है । (परिशिष्ट–5)

19– बीज निरीक्षक के कर्तव्य/उत्तरदायित्व

बीज अधिनियम के अंतर्गत वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त बीज निरीक्षक को निम्नानुसार कार्यो का निर्वहन करना होगा ।

19.1 19.1 अपने कार्य क्षेत्र के प्रत्येंक बीज व्यवसायी की दुकान/गोदाम का निरीक्षण प्रत्येक फसल मौसम में व कम से कम 2 महिनों में एक बार अवश्य करेगा ।

19.2 19.2 प्रत्येक बीज व्यावसायी अथवा प्रदायक द्वारा संधारित रिकार्ड का निरीक्षण करेंगे ।

19.3 19.3 यह सुनिश्चित करेगें कि प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र/लेबलिंग की शर्तो का पालन हो रहा है अथवा नहीं ।

19.4 19.4 रसीद पर क्रेता/विक्रेता के हस्ताक्षर के साथ–साथ बीज की जाति बैच नं/लाट नं. कीमत मात्रा एवं दिनांक के लेख का सत्यापन सुनिश्चित करना ।

19.5 19.5 बीज लाट से बीज के नमूने निकालकर प्रयोगशाला को जॉच हेतु भेजना । नमूने लेने प्रयोगशाला भेजने आदि की कार्यवाही बीज नियम 1968 की धारा 24 से 37 के अनुरूप होगी ।

बीज निरीक्षक द्वारा अधिसूचित फसल/किस्मों से नमूना लेने के समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया–

19.5.1 19.5.1 नमूने निकालने के लिये बीज व्यवसायी को लिखित सूचना देना ।

19.5.2 19.5.2 निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप लिये गये तीन नमूनों का विवरण सहित सील बंद करना जिसमें से एक उस व्यक्ति को दिया जावेगा जिसके अधिकार के बीज से नमूना लिया गया है ।

19.5.3 19.5.3 एक नमूना बीज निरीक्षक अपने पास रखेगे तथा दूसरा नमूना संबंधित बीज परीक्षण प्रयोगशाला को भेजेंगे

19.6 19.6 जहॉ यह शंका हो कि बीज अधिनियम/नियमों/आदेशों के प्रावधानों का उल्लघन हो रहा है, वहां नियमों के अन्तर्गत नमूने लेगे, स्टाक जप्त करने, रिकार्ड जप्त करने जैसी विधि सम्मत कार्यवाही करना ।

19.7 19.7 प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे और अधिनियम/नियमों/आदेशों के विरूद्ध कार्य पाये जाने पर विधि सम्मत कार्य करना ।

19.8 19.8 किये जाने वाले निरीक्षणों, जप्ती आदि का अभिलेख रखेंगे, आयातित बीजों के संबंध में राज्य शासन से निर्देश प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही करना ।

19.9 19.9 जहॉ आवश्यक हो और बीज अधिनियम/नियम एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 का उल्लघन हो रहा है, वहां नियमानुसार न्यायालयीन कार्यवाही करना ।

19.10 19.10 प्रतिबंधित व अमानक बीज का व्यापार न हो, यह सुनिश्चत करना ।

19.11 19.11 बीज व्यवसायी को अनुज्ञापन जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना कि जिन उत्पादकों के बीज का उनके द्वारा विक्रय करना प्रस्तावित

है उनके उत्पादन का पूर्व रिकार्ड अच्छा हो । इस विषय में अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भेजना ।

19.12 19.12 समय–समय पर राज्य अनुज्ञापन अधिकारी/जिला अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना ।

19.13 19.13 यह सुनिश्चित करना कि बीज व्यवसायी अनुज्ञापन में दर्शाये बीजों का व्यापार कर रहा है ।

20. बीज अधिनियम के अन्तर्गत बीज निरीक्षक के अधिकार :–

20.1 20.1 बीज अधिनियम/नियम एवं बीज (नियंत्रण) आदेशों में निर्दिष्ट बीजों के नमूनें लेने का अधिकार :–

20.1.1 20.1.1 बीज विक्रेता से ।

20.1.2 20.1.2 ऐसे व्यक्ति से जो बीज व्यवसाय में उत्पादक एवं उपभोक्ता के मध्य व्यवसाय में रत है ।

20.1.3 20.1.3 खरीददार से जिसने बीज क्रय कर लिया हो ।

20.2 20.2 ऐसे स्थानों पर औचित्य पूर्ण समय पर और ऐसी सहायता जो आवश्यक हो के साथ उन स्थानों में प्रवेश करना तथा खोज करना जहॉ यह विश्वास हो कि इस अधिनियम से संबंधित कोई अपराध हो रहा हैं ।

20.3 20.3 ऐसे अभिलेख अथवा वस्तु का परीक्षण/जप्ती करना जो अधिनियमों व आदेशों के अन्तर्गत गवाही के लिये उपयुक्त सिद्ध हो सकती है ।

20.4 20.4 बीज निरक्षक द्वारा विधि अनुसार निकाले गये बीज के नमूनों की कीमत का भुगतान सामान्य रूप से बेचे जाने वाले बीज की दर पर संबंधित व्यक्ति के द्वारा मॉगने पर दिये जाने का प्रावधान करेगा ।

20.5 20.5 बीज निरीक्षक को ऐसे स्थान पर जहां बीज/अभिलेख रखे गये हों का दरवाजा तोड़कर घुसने का अधिकार भी है बशर्ते की संबंधित व्यक्ति द्वारा दरवाजा खोलने से मना किया जावे । साथ ही ऐसी कार्यवाही करते समय गवाही या किमनल प्रोसिजर 1898 की धारा 5 के प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है :–

20.6 20.6 जहॉ स्टॉक/अभिलेख जप्ती किया गया हो वहां तत्काल न्यायिक प्रक्रियाय के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करने के अधिकार ।

20.7 20.7 बीज परीक्षण अधिकारी से संबंधित नमूने की जॉच रिपोर्ट मिलने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाने का अधिकार ।

21 21 बीज निरीक्षक का रोस्टर

बीज निरीक्षक अपने कार्यक्षेत्र में बीज विक्रय व्यवसाय करने वाले डीलर्स थोक/फुटकर सहकारी समितियों तथा अन्य संस्थाओं के केन्द्रों को निम्नानुसार निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगा ।

21.1 21.1 प्रत्येक बीज विक्रय केन्द्र का निरीक्षण कम से कम माह में दो बार किया जावेगा ।

21.2 21.2 निरीक्षण के दौरान इस आदेश में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही ।

21.3 21.3 निरीक्षण के उपरान्त परिशिष्ट–3 के अनुसार प्रतिवेदन बनाया जाकर प्रतिवेदन की एवं एक प्रति उप संचालक कृषि, आंचलिक प्रबंधक कृषि एवं संचालक कृषि को भेंजना ।

22. 22. निरीक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बिन्दु

गुण नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण करते समय बीज अधिनियम 1966/बीज नियम 1968 व बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धाराओं के अन्तर्गत प्रावधानित बिन्दुओं का कड़ाई से पालन करना चाहिये । साथ ही :–

(1) बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की धारा 5 के अंतर्गत निर्माता/डीलर द्वारा नगद/उधार ज्ञापन जारी किया जाता है इस ज्ञापन में निर्माता/व्यापारी द्वारा विक्रय किये जा रहे बीज का विवरण निर्धारित प्रपत्र में हो इसका सत्यापन किया जाना चाहिये ।

(2) निरीक्षण के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक बोरे पर जिसमें बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अनुसार लाट नंबर उल्लेखित करना अनिवार्य है, ऐसा किया गया है ।

(3) केशमेमो/क्रेडिट मेमों पर क्रेता एवं विक्रेता के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये ।

(4) निर्माता या थोक व्यापारी द्वारा यदि री–बैगिंग ठीक होने योग्य त्रृटि दूर करना हो तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी व प्रमाणित बीज होने पर बीज प्रमाणीकरण संस्था को पूर्व में सूचना देकर लिखित अनुमति प्राप्त की है क्या ?

23. नमूना लेने की विधि

बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 की खण्ड 13 अनुसूची–1 अनुसार बीजों के नमूने का लेना सील बंद करना एवं विश्लेषण हेतु भेजना निम्न प्रक्रिया के अनुसार होगा ।

23.1 नमूने लेने की रीति

विश्लेषण के प्रयोजन के लिये बीज के नमूने स्वच्छ, सुखे पात्र में लियें जाऐंगे पूर्ण रूप से मजबूती से बंद किया जाएगा जिससे कि उसमें से रिसन न हो और उसमे नमी न जा सके । इसे सावधानी पूर्वक सील बंद किया जाना चाहियें ।

23.2 23.2 नमूना प्रगाढ़ता

थोक नमूना लेना–जब बीज का इकट्ठे ढेरों, बेगनों आदि में थोक भण्डारण किया जाता है तो निम्नलिखित नमूना प्रगाढ़ता को ''थोक नमूना'' लेने के लिये न्यूनतम अपेक्षा माना जाएगा ।

23.2.1	500 किलो ग्राम तक	–	छोटे लाटो को छोडकर 50 किलो तक कम से कम 5 नमूने, जहां नमूनों की थोड़ी संख्या पर्याप्त है वहॉ कम से कम 3 नमूने लिये जाने की आवश्यकता है
23.2.2	501 से 3000 किलोग्राम तक	–	प्रत्येक 300 किलोग्राम के लिये एक व्यष्टिक नमूना किन्तु कम से कम 5 व्यष्टिक नमूने ।

23.2.3	3001 से 20000 किलोग्राम तक –	प्रत्येक 500 किलोग्राम के लिये एक व्यष्टिक नमूना किन्तु कम से कम 10 व्यष्टिक नमूने ।

थोक बीजों के लिये व्यष्टिक नमूनों को अनायस सभी ढेरों में बांट दिया जाएगा और विभिन्न मध्यों से नमूने लिये जाएंगे ।

23.3 थैला नमूना–थैलों या अन्य पात्रों में बीज के लाठों के लिये निम्न लिखित नमूना प्रगाढ़ता को न्यूनतम अपेक्षा के रूप में माना जाएगा ।

(क)	5 पात्रों तक	–	प्रत्येक पात्र से एक नमूना किन्तु कम से कम 5 व्यष्टिक नमूने ले ।
(ख)	6 से 30 तक	–	प्रत्येक 3 पात्रों में कम से कम एक नमूना किन्तु 5 से कभी कम नहीं हो ।
(ग)	31 पात्र या अधिक	–	प्रत्येक 5 पात्रों में कम से कम एक नमूना ले किन्तु 10 से कभी कम नहीं हो ।

जब तक कि किसी लाट की एक रूपता के बारे में कोई सन्देह न हो ऐसे सभी प्रमुख नमूनों को बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेजने के लिये लाट का एक संयुक्त नमूना बनाने के लिये मिला लेना चाहिये । यदि व्यष्टिक या प्रारंभिक नमूने पर्याप्त रूप से एक रूप नहीं है तो उन्हें विजातीय परीक्षण के लिए प्रयोगशाला को भेजा जाना चाहिये ।

23.4 पात्रों पर लेबल लगाया जाएगा और पता लिखा जाएगा –
विश्लेषण के लिए नमूनों वाले सभी पात्रों पर समुचित रूप से लेबल लगाया जाएगा और पार्सलों पर सही–सही पता लिखा जाएगा । विश्लेषण के लिए भेजे गए बीज के किसी भी नमूने के लेबल पर निम्न लिखित लिखा होगा ।

क– कम संख्या
ख– सरकारी पदाभिधान यदि कोई हो, के साथ भेजने वाले का नाम :
ग– उस व्यक्ति का नाम जिससे नमूना प्राप्त किया गया है :
घ– नमूना लेने की तारीख और स्थान :
ड– विश्लेषण के लिए, लिए गए बीज का प्रकार और किस्म :
च– नमूने के साथ जोड़े गए परिरक्षियों, यदि कोई हो की प्रकृति और मात्रा :

23.5 नमूनों के पैकः करवाना और सील बंद करने की रीति–विश्लेषण को भेजे गए बीजों के सभी नमूनों की निम्न लिखित रीति से पैक और सील बंद किया जाएगा ।

23.5.1 23.5.1 डाट मजबूती से लगाई जाएगी जिससे कि परिवहन में पात्रों से रिसन होना रोका जा सके ।

23.5.2 23.5.2 पात्र को तब एक मजबूत मोटे कागज में पूरी तरह से लपेटा जाएगा । कागज के किनारों को अच्छी तरह से मोडा जाएगा और उसे गोंद या अन्य चेपदार पदार्थ से चिपकाया जाएगा ।

23.5.3 23.5.3 पात्र के ऊपर और उसके चारों ओर कागज के आवरण को मजबूत सुतली या धागे में मजबूती से बांध दिया जाएगा । सुतली या धागा सीलबंध करने वाले मोम से कागज के आवरण पर चिपकाये जाऐगे । इस पर भेजने वाले की मोहर के कम से कम चार सुभिन्न और स्पष्ट निशान होंगे जिसमें से एक पैकेट के ऊपर होगा, जबकि एक नीचे और अन्य दो पैकट पर ही होंगे । सुतली या धागे की गॉठ को भेजने वाले की मोहर के निशान वाली सील का बंद करने वाली मोम से ढ़ॅक दिया जाएगा ।

24 24 मानीटरिंग व्यवस्था

24.1 24.1 बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के परिणामोंन्मुखी प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार मानीटरिंग व्यवस्था निर्धारित की जाती है । तदनुसार प्रत्येक स्तर पर नियमित रूप से कार्य सम्पादन व मानीटरिंग निर्देशानुसार सुनिश्चित की जावे ।

24.1.1 24.1.1 विकास खण्ड स्तर– बीज (नियंत्रक) आदेश 1983 की आज्ञापक अपेक्षा अनुसार म0प्र0 शासन कृषि विभाग की अधिसूचना बी–143–92–चौदह–2 दिनांक 31–3–92 द्वारा प्रदेश में नियुक्त सभी वरिष्ठ कृषि/उद्यान विकास अधिकारियों (निर्धारित योग्यता प्राप्त बीज निरीक्षको) को प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभिमक दो माहों में उनके कार्यक्षेत्र के बीज विक्रय केन्द्रों/ व्यापार केन्द्रो से न्यूनतम 5 प्रतिशत बीज लाट्स के नमूने, अनुसूची–1 में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये लिये जावें व विश्लेषण उपरांत परिणाम संबंधितों को भेजे जावेंगे ।

24.1.2 24.1.2 इस कार्य की मासिक प्रगति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी/ उप संचालक कृषि को परिशिष्ट–1 में प्रेषित की जावेगी ।

24.2.1 24.2.1 जिला स्तर पर – प्रत्येक जिले के समस्त बीज विक्रय/ ब्यापार केन्द्रो की जिले के समस्त बीज निरीक्षकों की परिशिष्ट– में प्राप्त मासिक प्रगति की समीक्षा कर परिशिष्ट–2 में संकलन कर जिले के कलेक्टर/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मासिकम समीक्षा हेतु प्रेषित की जावें, तथा एक–एक प्रति संबंधित आंचलिक प्रबंधक व संचालक कृषि को भेजी जावें ।

24.2.2 24.2.2 जिले स्तर पर कलेक्टर / मुख्य कार्यपालन अधिकारी मासिक समीक्षा में जिले में लिये गये नमूनों की संख्या बीज विक्रय केन्द्रों / व्यापार केन्द्रों पर विक्रत लाटस की संख्या के 5 प्रतिशत के आधार पर लक्षित संख्या विश्लेषण की स्थिति प्राप्त परिणामों में अवमानक बीज लाटस के संबंध में की गई आवश्यक कार्यवाही की समीक्षा करेंगे ।

24.3 24.3 अनुज्ञापन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि क्या सभी बीज व्यवसायियों द्वारा अपने अनुज्ञापन का नवीनीकरण करा लिया है ?

25 25 अनुज्ञापन अधिकारी कार्यालय में रिकार्ड धारण करना –

जिला अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में निम्नानुसार रिकार्ड संधारण करना अनिवार्य है –

25.1 25.1 अनुज्ञापन प्रमाण–पत्र पंजी ।

25.2 25.2 अनुज्ञापन प्रमाण–पत्र की कार्यालयीन प्रति ।

25.3 25.3 बीज व्यवसायी के गोदामों के नक्शों की प्रति ।

25.4 25.4 जिले में उनके कार्यक्षेत्र से संबंधित के यहां व्यवसायी बीजवार स्कंध विक्रय तथा बचत की जानकारी ।

1ए 26 थोक एवं फुटकर व्यवसायी द्वारा अपने सूचना पटल पर प्रदर्शित करना ।

25.5 26.1 अनुज्ञापन प्रमाण–पत्र

25.6 26.2 बीजों की मूल्य सूची

25.7 26.3 बीजों के स्कन्ध की जानकारी

25.8 26.4 भण्डारण क्षमता

उपरोक्त जानकारी बीज व्यवसायी की दुकान में स्थापित बोर्ड पर प्रतिदिन अंकित करना अनिवार्य है ताकि कोई भी ग्राहक एवं अधिकारी संपूर्ण वस्तुस्थिति से अवगत हो सके ।

27. बीज व्यवसायी द्वारा रखे जाने वाले रिकार्ड

27.1 27.1 प्रत्येक बीज व्यवसायी अपने कारोबार से संबंधित ऐसी बहियों लेखों और अभिलेखों को जो राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जाए बनाए रखेगा ।

27.2 27.2 प्रत्येक बीज व्यवसायी मास के पांचवे दिन एक पूर्ववर्ती मास के कारोबार से संबंधित मासिक विवरणी बीज निरीक्षक अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(आर0परशुराम)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
कृषि विभाग

क्रमांक /बी—9/2/98/14—2 भोपाल दिनांक

प्रतिलिपिः—

1— सचिव मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन ।
2— निजी सचिव, मंत्री जी कृषि ।
3— निजी सचिव, राज्य मंत्री जी कृषि ।
4— स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन ।
5— कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
6— प्रमुख सचिव, जन सम्पर्क, मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
7— प्रबंध संचालक, मार्कफेड मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
8— सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग ।
9— अध्यक्ष जिला पंचायत .... समस्त मध्यप्रदेश ।
10— प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल ।
11— प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल ।
12— क्षेत्रीय प्रबंधक राष्ट्रीय बीज निगम म0प्र0 भोपाल ।
13— प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल ।
14— प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी बैंक भोपाल ।
15— प्रबंध संचालक, राज्य कृषि विपरण बोर्ड, भोपाल ।
16— संचालक, कृषि मध्यप्रदेश भोपाल ।
17— संचालक, कृषि अभियांत्रिकी मध्यप्रदेश भोपाल ।
18— संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वाणिकी, भोपाल ।
19— आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं ।
20— संभागीय आयुक्त .... (समस्त) मध्यप्रदेश ।
21— संपाक, पंचायिका, मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल ।

सभी विभागाध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक कृपया अपने जिला तथा अन्य कार्यालयों को इस आदेश की प्रति भेजना सुनिश्चित करें ।

सचिव
म0प्र0शासन, कृषि विभाग

प्रतीक
प्रारूप ''क''
खण्ड 4 देखिये

बीज व्यवसायी की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिऐ आवेदन का प्रारूप

प्रति,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी,
.... स्थान,
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र,

1. आवेदक का पूरा नाम और पता,
   क– नाम और डाक पता
   ख– कारोबार का स्थान (कृपया सही–सही पता दें)
      1– विक्रय के लिये
      2– भण्डारण के लिये

2– क्या वह स्वत्वधारी/ भागीदारी /लिमिटेड कंपनी / हिन्दु अविभक्त/ कुटुम्ब/ समुत्थान है ? स्वत्वधारी / भागीदार/ प्रबंधक/ कर्ता का नाम और पता दें।

3– यह आवेदन किस हैसियत में किया गया है :
   1– स्वत्वधारी
   2– भागीदार
   3– प्रबंधक
   4– कर्ता

4– क्या आवेदक को पहले कभी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के अधीन या उसके अधीन जारी किये गये किसी आदेश, के अधीन आवेदन की तारीख से पहले, पिछले तीन वर्षो के दौरान, दोषीसिद्ध किया गया है ? यदि हां तो ब्यौरा दें ।

5– उन बीजों के ब्यौरे दें, जिनका कारोबार किया जाना है ।
   क संख्या बीज का नाम

6– मैने /हमने चालान संख्या .... तारीख .... द्वारा 50 रू की अनुज्ञप्ति फीस कोषालय /बैंक .... में जमा कर दी है ।

7– घोषणा –
   क– मैं/ हम घोषित करता हॅू /करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे /हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है ।
   ख– मैने/ हमने बीज नियंत्रक आदेश, 1983 के उपबंध प्रारूप ''ख'' में दी गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है और हम उनका पालन करने के लिए सहमत है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख
स्थान
टिप्पणी – 1– जहां बीजों के विक्रय /निर्यात/ आयात का कारोबार एक से अधिक स्थानों पर की जाना हो, वहां ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए प्रथक अनुज्ञप्ति प्राप्त की जानी चाहिये ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी के कार्यालय में प्रयोग के लिये

प्राप्ति की तारीख — आवेदन प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम और पद

प्रतीक
प्ररूप ''ख''
खण्ड 5 देखिये
बीजों के व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या .... तारीख ....

1– बीज (नियंत्रक) आदेश, 1983 के उपबंध और इस अनुज्ञप्ति के निबंधनो और शर्तो के अधीन श्री /मेसर्स .... को बीजों के उक्त प्रयोजन के लिए विक्रय निर्यात आयात और भंडारण करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है ।

2– अनुज्ञप्तिधारी .... पर (भंडारण के स्थान और विक्रय का स्थान) ....(तहसील या जिला).............................. मिं उपरोक्त कारोबार करेगा ।
....

तारीख — अनुज्ञापन प्राधिकारी
मोहर : — राज्य ....

अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्ते :

1– अनुज्ञप्ति कारोबारी परिसर के किसी भाग में किसी प्रमुख और स्पष्ट –दृश्य स्थान पर जो आम जनता के लिये खुला रहेगा, प्रदर्शित की जाएगी ।

2– अनुज्ञप्ति धारक बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के और उसके अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन करेगा ।

3– यह अनुज्ञप्ति तुरन्त प्रभावी होगी और .... तक बैद्य होगी जब तक कि इसे पहले ही रद्द या निलंबित नहीं कर दिया जावें ।

4— अनुज्ञप्ति का धारक समय—समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी को बीजों के उक्त प्रयोजनों के लिये विक्रय, निर्यात, आयात या भण्डारण का कारोबार करने वाले परिसर में किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट देगा ।

5— अनुज्ञप्ति धारी बीजों के भण्डारण, विक्रय या निर्यात के प्रयोजन के लिये अपने द्वारा प्रयुक्त किसी दुकान, डिपो या गोदाम या अन्य स्थान/स्थानों में उसके स्टाप का निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिये अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके प्राधिकारी या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य अधिकारी को हर सुविधा प्रदान करेगा ।

प्रतीक
प्ररूप ''ग''
खण्ड 7 देखिये

बीजों के व्यवसाय करने के लिये अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये आवेदन

प्रति,

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
.... स्थान,
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

मैं श्री/ श्रीमती / मेसर्स .... के नाम और पदनाम से बीजों के व्यवसाय का कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्ति के नवीनीकारण के लिये आवेदन करता हूँ । वह अनुज्ञप्ति जिसका नवीनीकरण कराया जाना है, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा .... राज्य के लिये दी गई थी और उसे .... को अनुज्ञप्ति संख्या .... दिनांक .... को आवंटित किया गया था।

आवेदक का / के हस्ताक्षर

आवेदक का पूरा नाम और पता ....
तारीख और स्थान ....

प्रमाणित किया जाता है कि .... परिसरों में स्थित बीजों के व्यापारी का कारोबार करने के लिये संख्यांक .... वाली अनुज्ञप्ति .... को दी गई थी जिसका .... तक नवीनीकरण किया जाता है जब तक कि वह बीज नियंत्रण आदेश 1983 के उपबंधों के अधीन पहले ही निलंबित या रद्द नहीं कर दी जाती है ।

अनुज्ञापन प्राधिकारी

राज्य

तारीख

नवीनीकरण ....

मोहर :

प्रतीक

प्ररूप ''घ''

(खण्ड 18 देखिये)

1— माह व वर्ष ....

2— अनुज्ञप्ति धारक का नाम व पद ....

फसल/ किस्म	बीज की श्रेणी	माह के प्रथम दिन प्रारंभिक बचत	माह के दौरान क्रय की मात्रा	कुल आयात की गयी मात्रा	योग (3+4+5)	कुल बेची गई मात्रा	कुल निर्यात की गयी मात्रा	माह की अंतिम बचत 6—(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

व्यापारी के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

परिशिष्ट –1

बीज निरीक्षक द्वारा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अनुसार लिये गये नमूनों का मासिक विवरण

माह .... वर्ष ....
फसल मौसम ....

क्र.	फसल	किस्म	लिये गये नमूने (संख्या)	परिणाम प्राप्त मानक / अवमानक	कार्यवाही निरीक्षक / अनुज्ञप्ति अधिकारी
1	2	3	4	5	6

बीज निरीक्षक के हस्ताक्षर

नाम ....
मुख्यालय ....

परिशिष्ट –2

उप संचालक कृषि द्वारा बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अनुसार की गई कार्यवाही का मासिक पत्रक

जिला ....
फसल मौसम ....
माह ....

क्र.	**जिले के बीज विक्रय केन्द्रो की संख्या**	**जिले की कुल बिक्री योग्य मात्रा**	**लिये गये नमूने**	**परिणामों की स्थिति मानक / अमानक**	**अमानक पाये जाने पर की गयी कार्यवाही**	**अभ्युक्ति**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

उप संचालक कृषि

जिला ....

परिशिष्ट–3

बीज विक्रय केन्द्र का निरीक्षण प्रतिवेदन

केन्द्र का नाम– ....
निरीक्षण का दिनांक ....
अनुज्ञप्ति धारक का नाम ....
अनुज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक .... वैधता दिनांक

अनुज्ञप्ति केन्द्र पर स्पष्ट दृश्य स्थान पर लगाई है .... हॉ/नहीं

केन्द्र पर बीज की मात्रा ....

क्र.	फसल	किस्म	बीज की श्रेणी	बीज की मात्रा स्टॉक	कुल विक्रय की गई मात्रा	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7

केन्द्र पर बीज (नियंत्रण) ओदश 1983 के किसी प्रावधान का उल्लघंन तो नहीं पाया गया .... यदि हॉ तो विस्तृत विवरण देवें ....
....
....

अनुज्ञप्ति धारक या प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एवं पूरा नाम बीज निरीक्षक के हस्ताक्षर

केन्द्र ……………………………………………… मुख्यालय ………………………………………………
.....

परिशिष्ट –4

कृषि विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल दिनांक, 15 मार्च 2000

क्र.बी.–14–3–92–चौदह–2– आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किए गए बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को उक्त आदेश के अधीन उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है,
अर्थातः–

अनुसूची

अनु.	अधिकारी	अधिकारिता	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	समस्त जिले के उप–संचालक कृषि	अपने जिले हेतु	कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के बीज
2.	परियोजना कार्यपालन अधिकारी रायपुर	रायपुर जिले हेतु	कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के बीज

परिशिष्ट–5

क्र.बी.–14–3–92–चौदह–2– आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किए गए बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों को, जो बीज नियम 1968 के नियम 22 में विहित आर्हताए रखते हों, को उक्त आदेश के अधीन उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट अधिकारिता के भीतर शक्तियों को प्रयोंग करने के लिये निरीक्षकों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात :

अनुसूची

अनु. (1)	अधिकारी (2)	अधिकारिता (3)	प्रयोजन (4)
1.	कृषि संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल में प्रकरण समस्य संयुक्त संचालक, कृषि उप–संचालक, कृषि, सहायक, फसलों के बीज संचालक कृषि, वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश	कृषि
2.	समस्त सहायक संचालक कृषि, समस्त वरिष्ठ कृषि बीज विकास अधिकारी विषय वस्तु विशेषज्ञ और कृषि परियोजना विकास अधिकारी, जो उप–संचालक कृषि जिल/कार्यालय इकाई के कार्यालय में पदरण है और परियोजना कार्यपालन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में पदस्थ हैं	यथास्थिति, जिला	कृषिफसलोंके
3.	सभी उपसंभागीय कृषि अधिकारी उपसंभाग एवं विकासखंड या वृत स्तर में पदस्थ वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ एवं कृषि विकास	उनके कार्य क्षेत्र के लिये	कृषि फसलों के बीज
4.	उद्यानिकी संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश	उद्यानिकी फसलों के बीज

5. जिले में पदस्थ समस्त उप–संचालक उद्यान/परियोजना यथास्थिति जिला/ उद्यानिकी फसलों के बीज

संचालक उद्यान/परियोजना अधिकारी उद्यान/जिले विकासखंड/वृत
के विकास खंड वृत के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी
उद्यान विकास अधिकारी एवं उद्यान अधीक्षक

क्र.बी.–14–3–92–चौदह–2– आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 (1955 का सं. 10) की धारा 3 के अधीन जारी किए गए बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के खण्ड 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त आदेश के प्रयोजनों के लिये संभागीय संयुक्त संचालक कृषि को अपीनलय प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करती है :–

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

ए.के. श्रीवास्तव, उपसचिव